[2020] 6 SCR 342

ऐश्वर्या अतुल पुसलकर

विरुद्ध

महाराष्ट्र हाउसिंग एवं एरिया डेव्लपमेंट अथॉरिटी एवं अन्य

( 2012 की सिविल अपील संख्या 7231 )

अप्रैल 27, 2010

**[ दीपक गुप्ता एवं अनिरुध्ध बोस, जे जे ]**

महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976- धारा 2(25), 79, 95 क और 177 -प प्रत्यर्थी क्रमांक 8 द्वारा पति की पारिवारिक संपत्ति का पुनर्विकास किया गया - पुनर्विकास के दौरान, अधिभोगियों को आवश्यकत अनुसार अस्थायी आवास में स्थानांतरित कर दिया गया, परंतु अपीलार्थी पत्नी को नहीं किया गया – उसे पक्षकारों के मध्य वैवाहिक विवाद मे उच्चा न्यायालया द्वारा पारित आदेश द्वारा स्थानांतरित किया गया – उससे संबन्धित समानान्तर घटनाक्रम मे, प्रत्यर्थी क्रमांक 8 को जारी न्यायिक प्रथक्करण की डिक्री को अपास्त कर दिया गया – तलाक की याचिका भी खारिज कर दी गई – अपीलार्थी ने पुनरविकसित इमारत मे प्रत्यर्थी क्रमांक 8 और उस के परिवार को आवंटित दो फ्लैट्स मे उसे फिर से बसाने के लिए; जो कि उसके अनुसार उस के वैवाहिक निवास है, एमएएचएडीए को निर्देश जारी करने के लिए एक रीत याचिका दायर की – खारिज – अभिनिर्धारित: जब एक बिल्डर ने पुनरविकसित हिस्से मे मूल मालिको को स्कीम के अनुसार समायोजित कर अपने दायित्व से उन्मुक्त हो गया है, तब एक महिला जो कि उस परिवार मे विवाहित है, उक्त संविधि के आधार पर अपने वैवाहिक घर मे वास के अधिकार का प्रवर्तन करवाने के लिए उच्चा न्यायालय कि रीट अधिकारिता का उपयोग नहीं कर सकती है, यदि उसका पति उसे आवंटित हिस्से मे रहने कि अनुमति नहीं देता है – हालाकी अपीलार्थी को 1976 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत बेघर किया गया था, उसके पुनर्वास का भार प्रत्यर्थी क्रमांक 8 कि पत्नी के रूप मे उसकी स्थिति पर आधारित था – अब तक, न्यायिक प्रथक्करण का आदेश अमान्य है और वह प्रत्यर्थी की वैध विवाहित पत्नी है– हालाकी, मूल इमारत जो उसका वैवाहिक घर था, ध्वसत कर दिया गया और पुनरविकसित इमारत का एक बड़ा हिस्सा उसी भू–खंड पर अलग कर दिया गया – परंपरागत रूप से उसका वैवाहिक निवास वह होगा जहा इसका पति निवास कर रहा है – तथ्य खोज की अधिकारिता रखने वाला न्यायिक फॉरम उसके इस प्रकृति के दावा को अभिनिर्णीत करने के लिए एक उचित फॉरम होगा – इसके अलावा प्रत्यर्थी क्रमांक 8 और बिल्डर ने समान रूप से कहा है कि उसी इमारत मे एक फ्लोर अपीलार्थी के निवास के लिए उपलब्ध है – विवाद बहुत लंबे समाय से लंबित है– अनुच्छेद 142 तथा घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण आधनियम, 2005 और हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण– पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्देश जारी किए गए ।

**कोर्ट ने अपील का निपटारा करते हुए**

अभिनिर्धारित: 1.1 अभी स्थिति यह है कि न्यायिक पृथक्करण का आदेश अमान्य हो गया है और अब तक, अपीलकर्ता प्रतिवादी संख्या 8 की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है। वह वर्ष 2000 से अपने वैवाहिक घर से बाहर है। लेकिन रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करके इस तरह के अधिकार का प्रवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, जिस मूल इमारत में उसका वैवाहिक घर था, उसे भी ध्वस्त कर दिया गया है। उसी भूखंड पर पुनर्विकसित इमारत के बड़े हिस्से को अलग कर दिया गया है। अब इसके पारंपरिक अर्थ के अनुसार, वर्तमान में उसका वैवाहिक घर वह परिसर होगा जिसमें उसका पति रह रहा है। इस जटिल परिप्रेक्ष्य में, तथ्य-खोज क्षेत्राधिकार वाला एक न्यायिक फॉरम इस प्रकृति के उसके दावे को अधिनिर्णीत करने के लिए उचित फॉरम होगा। अपीलकर्ता ने महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 177 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए तर्क दिया कि उक्त अधिनियम से उत्पन्न होने वाले विवादों का फैसला सिविल कोर्ट द्वारा नहीं किया जा सकता है। लेकिन, उनके द्वारा उठाया गया विवाद 1976 अधिनियम के किसी भी प्रावधान से उत्पन्न नहीं होता है। हालाँकि 1976 के अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते हुए उसे एक अधिभोगी के रूप में बेदखल कर दिया गया था, उसके पुनर्वास का दावा  प्रतिवादी संख्या 8 की पत्नी के रूप में उसकी स्थिति पर आधारित है।  इस तरह के दावे का फैसला सिविल कोर्ट या फैमिली कोर्ट या कानून द्वारा विहित किसी अन्य फोरम द्वारा किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता के इस तरह के अधिकार को 1976 के अधिनियम के तहत उसके पति के अधिकार से अलग नहीं किया जा सकता है, जिसकी पारिवारिक संपत्ति, जिसके एक हिस्से का वह मालिक है, का पुनर्निर्माण किया गया है। [पैरा 11][353-सी-एफ]

1.2 बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस आधार पर वास्तव में उसे गैर-अनुकूलित किया है कि रिट कोर्ट उसे राहत देने के लिए उपयुक्त फॉरम नहीं था। न्यायालय को इस तरह के दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं मिली। लेकिन, इस अपील के दौरान, पति (प्रत्यर्थी नंबर 8) ने एक शपतपत्र दायर किया है जिसमें कहा गया है कि उसने फ्लैट नंबर 101 अलग कर दिया है जिसमें अपीलकर्ता को रखा जा सकता है। दूसरी ओर, अपीलकर्ता ने दावा किया है कि योजना के अनुसार उसी फ्लैट का आवंटन एक किरायेदार श्री नायक साटम के लिए निर्धारित किया गया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विवाद काफी लंबे समय से लंबित है ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए कुछ निर्देश दिये गए है जो विवाद को समाप्त कर देगा। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए है कि बिल्डर और अपीलकर्ता के पति ने समान रूप से कहा है कि ओम अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 101 अपीलकर्ता को रहने के लिए उपलब्ध है। अपीलकर्ता को अपने निवास के रूप में उस फ्लैट पर कब्जा करने का विकल्प दिया जाना चाहिए। हालाँकि, इस उद्देश्य के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है कि उक्त फ्लैट अन्यथा किसी भी रूप में अलग या भारग्रस्त न हो। [पैरा 12, 13][353-जी-एच: 354-ए-सीआई

1.3 हालाँकि, यदि अपीलकर्ता अपने पति के साथ अपने वैवाहिक घर में रहने का अधिकार स्थापित करना चाहती है, तो वह परिवार न्यायालय या सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी अन्य मंच से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होगी, जैसा कि उसे सलाह दी जा सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में, वह चार उप-पैराग्राफ सहित पूर्ववर्ती

**पैराग्राफ में जारी निर्देशों के डी आधार पर ओम अपार्टमेंट में फ़्लैट नंबर 101 के संबंध में विशेष रूप से किसी भी अधिकार का दावा करने की हकदार नहीं होगी। अपीलकर्ता को अपना मौजूदा आवास खाली करना होगा जिसके लिए प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा खर्च किया गया प्रतीत होता है और किया जा रहा है। इस तरह के व्यय के तथ्य को प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से दायर अतिरिक्त शपथपत्र 29 अगस्त 2019 में सत्यापित किया गया है। अपीलकर्ता को अपना वर्तमान आवास खाली करने के लिए आठ महीने का समय दिया गया। यदि वह अपने निवास के रूप में "ओम अपार्टमेंट" में फ़्लैट नंबर 101 का चयन करती है, और पैराग्राफ 13 और इसके विभिन्न उप-पैराग्राफ में निर्दिष्ट अन्य शर्तें पूरी होती हैं, तो वह उस तारीख से अपना वर्तमान परिसर खाली कर देगी। "ओम अपार्टमेंट" में फ़्लैट पर कब्ज़ा कर लिया। प्रतिवादी संख्या 8 आठ महीने की उपरोक्त अवधि के भीतर अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 8 को पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीख पर उक्त परिसर पर अपना कब्जा देगी। अन्यथा, उसके द्वारा उठाए जाने वाले कदम को उस निर्देश द्वारा निर्देशित किया जाएगा जो सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है, जहां अपीलकर्ता संपर्क कर सकता है। जब तक अपीलकर्ता वर्तमान आवासीय आवास पर कब्जा बरकरार रखता है, जिसकी अवधि आठ महीने से अधिक नहीं होगी, प्रतिवादी नंबर 8 उसका किराया देना जारी रखेगा और उसके कब्जे को परेशान नहीं किया जाएगा। अपीलकर्ता की आवासीय इकाई निर्धारित आठ महीने की अवधि से अधिक नहीं होगी तब तक जब तक कि सक्षम क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय अपीलकर्ता के अनुरोध पर कोई अन्य निर्देश जारी नहीं करता है। (पैरा 14-16][355-सी-एच; 356-ए]**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2012 की सिविल अपील संख्या 7231।

2008 की सिविल रिट याचिका संख्या 1398 में बॉम्बे में न्यायिक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 15.10.2008 से।

Bhargava V. Desai, Satyajit A. Desai, Ms. Anagha S. Desai, Chirag M. Shroff, Ms. Mahima C. Shroff, Ms. Yashika Verma, Nitin V. Gangal, Sachin Patil, Ranjit Kumar Rathod, Ms. Sheetal Patil, Advs. for the Respondents.

अपीलकर्ता-व्यक्तिगत रूप से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

**अनिरुद्ध बोस, जे.**

1. मूल रिट याचिकाकर्ता, जो इस कार्यवाही में अपीलकर्ता है, अपने वैवाहिक घर में रहने के अधिकार को प्रवर्तन करना चाहती है। जिस घर में वह रहने का अधिकार स्थापित करना चाहती है, वह प्लॉट नंबर 118, डॉ. एम.बी. राऊत रोड, शिवाजी पार्क, दादर , मुंबई महानगर पर स्थित एक इमारत में दो फ़्लैटों (नंबर 601 और 602) शामिल है। उसके पति (प्रतिवादी संख्या 8) का परिवार मूल रूप से उक्त भूखंड का मालिक था, जिस पर एक आवासीय इमारत थी जिसे "उषा" के नाम से जाना जाता था। हमें इस कार्यवाही में 29 अगस्त 2019 को प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा दिए गए एक अतिरिक्त हलफनामे से पता चलता है कि उक्त इमारत मूल रूप से "पुसलकर" परिवार की तीन शाखाओं के स्वामित्व में समान अनुपात

में थी। प्रतिवादी क्रमांक. 8 की शाखा शिवराम दत्तात्रेय पुसलकर से 1100 वर्ग फुट का कालीन क्षेत्र उनके हिस्से में शामिल है. उक्त शिवराम दत्तात्रेय पुसलकर की मृत्यु पर, उनका हिस्सा उनकी विधवा शोभना शिवराम पुसलकर (मृत्यु के बाद से), उनकी बेटी गायत्री प्रताप पुराणिक और प्रतिवादी संख्या 8 को बराबर अनुपात में हस्तांतरित हो गया। विध्वंस के बाद उस इमारत को बिल्डरों की एक फर्म, बिल्डआर्च द्वारा पुनर्विकास किया गया था। ऐसा पुनर्विकास महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (1976 अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार मुंबई बिल्डिंग रिफॉर्म्स एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड (बोर्ड) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद किया गया था। पुनरिर्माण अवधि के दौरान उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनुमोदित योजना के तहत पुनर्विकास के लिए, रहने वालों को पारगमन या अस्थायी आवास में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी। अपीलकर्ता का तर्क यह है कि पुनर्विकास की ऐसी कवायद 1976 अधिनियम की धारा 79 के तहत बनाई गई एक वैधानिक योजना के अनुसरण में की गई थी, जिसमें बेदखल कब्जेदारों के पुनर्वास के प्रावधान हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता की शादी के बाद उसके परिवार के सदस्य, जिसमें उसके पति और सास शामिल हैं, वर्ष 2000 में ट्रांजिट आवास में स्थानांतरित हो गए थे। अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता अपने दो अवयस्क बेटों के साथ मूल भवन में ही रही । हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 8, अतुल शिवराम पुसलकर ने दावा किया है कि उनके दोनों बेटे अब उम्र के हिसाब से बालिग हैं और उनके व्यवसाय में उनके साथ काम कर रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 8 ने यह भी कहा है कि उसके दो बेटों में से एक उसके साथ रहता है।

2. चूंकि अपीलकर्ता ने पुरानी इमारत में रहना जारी रखा था, इसलिए एमएएचएडीए अधिकारियों ने 1976 अधिनियम की धारा 95-ए के तहत उसे नोटिस जारी किया। उक्त प्रावधान निर्धारित करता है:-

"95-ए. (1) जहां किसी भवन का मालिक या उक्त भवन के अधिभोगियों की प्रस्तावित सहकारी आवास समिति के सदस्य, लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद, भवन के पुनर्निर्माण के लिए बोर्ड को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं भवन के कुल अधिभोगियों का कम से कम 70 प्रतिशत से लिखित सहमति प्राप्त करने के पश्चात और भवन के ऐसे पुनर्निर्माण के लिए बोर्ड द्वारा मालिक या अधिभोगियों की प्रस्तावित सहकारी आवास सोसायटी, जैसा भी मामला हो, को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। हो, तो परिसर खाली करना सभी कब्जाधारियों के लिए बाध्यकारी होगा:

परंतु यह कि, ऐसे अनापत्ति प्रमाणपत्र धारक का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे भवन के सभी अधिभोगियों को वैकल्पिक अस्थायी आवास उपलब्ध कराए।

(2) उप-धारा (1) में दिए गए प्रावधान के अनुसार किसी भी कब्जेदार द्वारा परिसर खाली करने से इनकार करने पर, ऐसे कब्जेदारों को बेदखल करने के लिए ऐसे अनापत्ति प्रमाणपत्र धारक से संपर्क करने पर, बोर्ड के लिए यह सक्षम होगा, इसके बावजूद इस अधिनियम के अध्याय VI और VII में किसी बात के होते हुए भी, संक्षिप्त निष्कासन के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी परिसर, भूमि, भवन या संरचना पर कब्जा कर रहा है बोर्ड की अनाधिकृत रूप से या विशिष्ट लिखित अनुमति के बिना इस संबंध में बोर्ड, किसी भी बात के बावजूद, ऐसा करेगा इस अधिनियम के अध्याय VI और VII में, किसी बात के होते हुए भी संक्षिप्त निष्कासन के लिए उत्तरदायी होंगे।

(4) कोई भी व्यक्ति जो ऐसे परिसर को खाली करने से इनकार करता है या ऐसी बेदखली में बाधा डालता है, दोषी पाए जाने पर कारावास से, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

3. इसके बाद अपीलकर्ता 2000 के सिविल आवेदन संख्या 2967 में बॉम्बे बी उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश के अनुसार एक अस्थायी आवास में स्थानांतरित हो गई थी । यह आवेदन एक वैवाहिक संबंध से उत्पन्न अपील के संबंध में लिया गया था जो कि उस समय अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 8. के बीच कार्यवाही लंबित है। हम इस निर्णय में बाद में उस कार्यवाही का उल्लेख करेंगे। उनके परिसर खाली करने पर, पुनर्विकास कार्य पूरा हो गया और उक्त भूमि पर बने नए भवन को "ओम अपार्टमेंट" के रूप में पहचान दी गई।

4. प्रतिवादी संख्या 8 की माँ का वर्तमान अपील संस्थित होने से पहले निधन हो गया। इस कार्यवाही में उनके हित का प्रतिवादी संख्या 8 स्वयं और उनकी बहन, गायत्री प्रताप पुराणिक (इस अपील में प्रतिवादी संख्या 9) द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया । एमएएचएडीए प्राधिकारियों के जवाबी शपथपत्र से, हमें पता चलता है कि बिल्डर और अपीलकर्ता के पति के परिवार के बीच कुछ समझौता हुआ था। इस तरह की व्यवस्था का प्रासंगिक विवरण इस अपील में म्हाडा और 1976 अधिनियम (प्रतिवादी संख्या I से 4) के तहत गठित अधिकारियों के उक्त हलफनामे के पैराग्राफ 8 (ए) से (ई) तक दिखाई देगा। ये पैराग्राफ पढ़ा गया -

"8. (ए) याचिकाकर्ता के पति ( प्रतिवादी नंबर 8), उसकी सास और उसकी भाभी (यहां प्रतिवादी नंबर 9) सामूहिक प्लॉट नंबर 118 डॉ. एम.बी. एफ. राऊत रोड, शिवाजी पार्क, दादर मुंबई 400028 वाली संपत्ति और उस पर खड़ी पुरानी इमारत में 1/3 अविभाजित शेयर के सह-मालिक थे । इस प्रकार, याचिकाकर्ता अपने दो बेटों और उक्त सह-मालिकों के साथ उक्त संपत्ति पर खड़ी पुरानी इमारत में लगभग 1100 वर्ग फुट (कालीन) के आवासीय परिसर सहकब्जा है। याचिकाकर्ता ने उक्त पुराने आवासीय मकान को अपनी वैवाहिक घर के रूप में संदर्भित किया है |

(बी) यह पता चला है कि दिनांक 1.07.1999 को एक अनुबंध उक्त सह-मालिकों और प्रतिवादी संख्या 7 के बीच निष्पादित किया गया था, जिसके द्वारा सह-मालिक अपने समूह को बेचने, संप्रेषित करने और हस्तांतरित करने पर सहमत हुए थे उक्त संपत्ति में 1/3 अविभाजित शेयर, अधिकार, के लिए और उसमें दर्ज नियमों और शर्तों पर। उक्त समझौते की शर्तों के तहत, प्रतिवादी नंबर 7 ने सह-मालिकों को स्थायी वैकल्पिक आवास के रूप में, सामूहिक रूप से उक्त संपत्ति पर खड़े पुराने भवन में उनके कब्जे वाले क्षेत्र के बदले में 1100 वर्ग फुट वाले तीन परिसर प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की थी। । प्रतिवादी नंबर 8 की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी होने के नाते, याचिकाकर्ता को अपने पति के साथ उसे आवंटित अस्थायी वैकल्पिक आवास और स्थायी वैकल्पिक आवास में शेष सह-मालिकों के साथ या स्वतंत्र रूप से रहने का अधिकार था।

(सी) चूंकि उपरोक्त समझौते के निष्पादित होने के समय याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 8 के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा था, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 8 के आग्रह पर प्रतिवादी संख्या 7 ने उसे एक स्वतंत्र अस्थायी वैकल्पिक आवास कमरा नंबर 20, पहली मंजिल, बालगोविंददास सोसायटी, मनोरमा नागरकर मार्ग। माटुंगा, मुंबई 400016 , प्रदान किया।

(डी) उत्तर देने वाले प्रतिवादी को पता चला है कि दिनांक 16.6.2004 को असाइनमेंट के लिए एक समझौते के अनुसरण में उक्त सह-मालिकों में से दो के बीच निष्पादित किया गया था। श्रीमती शोभना शिवराम पुसलकर (याचिकाकर्ता की सास) और श्रीमती गायत्री प्रताप पुराणिक (यहां प्रतिवादी संख्या 9) समनुदेशित हैं और प्रतिवादी नंबर 7 असाइनी हैं, उक्त समनुदेशित ने हमेशा के लिए और पूरी तरह से समनुदेशित किया है और, उनका संबंधित हिस्सा यानी 1100 वर्ग फुट में से 733 वर्ग फुट (कालीन) क्षेत्र प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया है। । उक्त समझौते के तहत विचारार्थ और उसमें दर्ज नियमों और शर्तों पर आवंटित करने पर सहमति हुई। उपरोक्त तथ्यों को प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा 20 अक्टूबर, 2004 के एक में भी दर्शाया गया है, जो 2004 के सिविल एप्लिकेशन नंबर 183, फैमिली कोर्ट अपील नंबर 72, 1997 और फैमिली कोर्ट अपील नंबर 87, 1997 (ऐश्वर्या) में दायर किया गया है।

(ई) दो सह-मालिकों द्वारा क्षेत्र के समनुदेशन को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी नंबर 7 को 379 वर्ग फुट का एक फ़्लैट उपलब्ध कराना था। याचिकाकर्ता के पति यानी प्रतिवादी संख्या 8 को यहाँ. प्रतिवादी संख्या 7 ने तदनुसार आवंटित किया है । प्रतिवादी क्रमांक 8 एक फ़्लैट क्रमांक 101 जिसका माप 379 वर्ग फुट है। उक्त इमारत "ओम अपार्टमेंट" की पहली मंजिल पर, एम.सी.जीएम द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित योजनाओं के अनुसार निर्माण किया गया। (इसके बाद इसे "उक्त नए फ़्लैट" के रूप में संदर्भित किया गया है)।

5. प्रतिवादी संख्या 8 और उसके परिवार को आवंटन के वास्तविक क्षेत्र के संबंध में प्रतिवादी संख्या 7 से विवाद है। अपीलकर्ता का तर्क है कि ऐसा क्षेत्र 1816.61 वर्ग फुट है, जिसमें से उसके पति का हिस्सा "ओम अपार्टमेंट" में 605.53 वर्ग फुट रहा होगा, उस अवधि के दौरान जब उनकी मां जीवित थीं। अपीलकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह भी प्रस्तुत किया है कि ऐसा क्षेत्र उक्त इमारत की छठी मंजिल में दो फ़्लैटों में शामिल था, जो कि फ़्लैट नंबर 601 और 602 हैं। । दो फ़्लैटों के क्षेत्र के संबंध में उनका दावा एक अनुमोदित योजना संख्या 15 अक्टूबर 2004 का ईईबीपी/8145/जीएन/ए पर आधारित है। इस आशय का एक वास्तुकार का प्रमाण पत्र बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में दायर अपीलकर्ता के शपथ पत्र-इन-रिजॉइंडर का हिस्सा है, जहां से यह अपील उत्पन्न हुई है। उस याचिका को 2008 की रिट याचिका संख्या 1398 के रूप में पंजीकृत किया गया था। प्रतिवादी संख्या 7, का रुख। बिल्डर का कहना है कि 15 अक्टूबर 2004 की योजना को बाद में 17 फरवरी 2006 और 22 नवंबर 2006 को संशोधित किया गया था और "ओम अपार्टमेंट" का निर्माण 15 अक्टूबर 2004 की योजना के अनुसार नहीं किया गया था। दोनों प्रतिवादी नं. 7 और 8 ने तर्क दिया है कि नई इमारत में भी, प्रतिवादी संख्या 8 के परिवार की शाखा को कारपेट एरिया आवंटन 1100 वर्ग फुट था। प्रतिवादी संख्या 8 की मृत माँ और बहन ने प्रतिवादी संख्या 7 को उनके संबंधित शेयर 733 वर्ग फुट मूल्यवान विचार के लिए सौंपा था। बिल्डर और प्रतिवादी संख्या 8 के अनुसार बाद वाले (बहन) को एक फ़्लैट नंबर 101 आवंटित किया गया है। जिसका क्षेत्रफल 379 वर्ग फुट है। प्रतिवादी सं. 8 चाहता है कि अपीलकर्ता उस फ़्लैट में स्थानांतरित हो जाए और इस संबंध में उसने 29 अगस्त, 2019 को एक हलफनामा देकर इस कार्यवाही के रिकॉर्ड का हिस्सा बनने की पुष्टि की है। इस शपथ पत्र के सत्यापन भाग में, प्रतिवादी नं. 8 का आवासीय पता "मातुश्री पर्ल, सीताराम कीर रोड, माहिम, मुंबई" दिखाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता वर्तमान में 20, बालगोविंदस सोसायटी, मनोरमा नागरकर मार्ग, मुंबई 400016 पर रहता है। प्रतिवादी क्र. 8 ने अनुरोध किया है कि यह आवास शुरू में बिल्डर द्वारा उसे ट्रांजिट आवास के रूप में

प्रदान किया गया था, लेकिन वर्तमान में वह इसके लिए किराया चुका रहा है। रिट याचिका में, जिसमें से यह अपील उत्पन्न हुई है, उसने एमए  अधिकारियों को उक्त दो फ़्लैटों में उसे फिर से बसाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया था। रिट याचिका में अन्य प्रार्थनाओं में 15 अक्टूबर 2004 की योजना के अनुपालन के लिए एक अनिवार्य निर्देश शामिल था।

6. अपीलकर्ता के अपने पति के साथ वैवाहिक विवाद से संबंधित कुछ समानांतर घटनाक्रम हुए हैं। फैमिली कोर्ट में पति- प्रतिवादी नं. 8 को वर्ष 1997 में न्यायिक पृथक्करण की डिक्री दी गई थी। तलाक के लिए उनकी याचिका पारिवारिक न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी। न्यायिक पृथक्करण का आदेश 30 जुलाई, 1997 को पारित किया गया था। अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 8 दोनों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त निर्णय और डिक्री के खिलाफ अपील की थी। उच्च न्यायालय ने 12 जुलाई, 2001 को दिए गए एक सामान्य फैसले में अपीलकर्ता की अपील को स्वीकार कर लिया था, जो 1997 की एफसीए संख्या 72 के रूप में पंजीकृत थी और न्यायिक पृथक्करण के फैसले को रद्द कर दिया था। तलाक देने से इनकार करने वाले फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ उसके पति (1997 के एफसीए नंबर 87 के रूप में पंजीकृत) की अपील खारिज कर दी गई थी। यह फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके अस्थायी आवास में शिफ्ट होने के बाद सुनाया था। अपीलकर्ता की शिकायत यह है कि न्यायिक पृथक्करण की डिक्री अमान्य होने के बाद, उसके पति और उसके परिवार ने उसे पुनर्विकसित भवन में आवंटित फ़्लैटों में रहने की अनुमति नहीं दी है। उसका दावा है कि इस तरह का इनकार उसके वैवाहिक घर में रहने के अधिकार का उल्लंघन है। उसका यह भी मामला है कि चूंकि उसने वैधानिक नोटिस के आधार पर मूल आवासीय इकाई को खाली कर दिया था, इसलिए उसे वैधानिक पुनर्वास उपाय के हिस्से के रूप में उन फ़्लैटों में फिर से रहने का अधिकार है। इसके बाद अपीलकर्ता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की। वर्तमान अपील का म्हाडा  प्राधिकारियों, बिल्डर (प्रतिवादी संख्या 7), उसके पति (प्रतिवादी संख्या 8) और अपीलकर्ता की भाभी, प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा विरोध किया गया है। मूल अपीलकर्ता की सास के निधन के बाद उन्हें इस अपील में पक्षकार बनाया गया था। इन उत्तरदाताओं ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष भी यही रुख अपनाया था।

7. अपील के तहत फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उत्तरदाताओं की दलील को बरकरार रखा कि रिट याचिकाकर्ता (हमारे सामने अपीलकर्ता) जिस अधिकार को स्थापित करने की मांग कर रहा था, उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके लागू नहीं किया जा सकता है। अन्य बातों के साथ-साथ, बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा इसका अवलोकन और आयोजन किया गया:-

"6. हमारे विचार में, याचिकाकर्ता का दावा उसके तर्क पर आधारित है कि वह प्रतिवादी क्र. 8 की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है और प्रतिवादी क्र. 9 की बहू, याचिकाकर्ता हकदार है कि वह नवनिर्मित भवन में फ़्लैट नंबर 601 और 602 पर कब्जा करे। वह फ़्लैट नंबर 601 और 602 को वैवाहिक घर के आधार पर इस तरह के अधिकार का दावा कर रही है । हमारी राय में, वर्तमान याचिकाकर्ता के लिए रिट याचिका उचित उपाय नहीं है उसकी ऐसी शिकायत को उजागर करना और वह अपने अधिकार को लागू करने के लिए फैमिली कोर्ट और/या सिविल कोर्ट में कार्रवाई का उचित तरीका अपनाकर इस तरह के दावे के लिए आंदोलन कर सकती है और ऐसी शिकायतें कर सकती है, जिसका वह यहां दावा कर रही है। पक्षों के बीच शामिल विवाद की प्रकृति को देखते हुए,

हमारा मानना है कि हमारे लिए अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उस पर vichaaran करना, ग्रहण करना और निर्णय लेना संभव नहीं है।

7. उपरोक्त चर्चा और हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के मद्देनजर, वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस याचिका को खारिज करने से याचिकाकर्ता के लिए उचित राहत पाने में कोई बाधा नहीं आएगी, जिसके लिए वह उचित रूप से, उचित रूप से गठित कार्यवाही से पहले कानूनन हकदार हो सकती है। यदि याचिकाकर्ता को ऐसा कोई उपाय अपनाने की सलाह दी जाती है, तो याचिकाकर्ता की पात्रता का निर्धारण करते समय यहां दी गई टिप्पणियों पर एक या दूसरे तरीके से विचार नहीं किया जाएगा।"

8. श्रीमती पुसलकर ने हमारे सामने व्यक्तिगत रूप से तर्क दिया है कि उन्हें 1976 अधिनियम की धारा 95 ए में निहित वैधानिक तंत्र के माध्यम से उनके वैवाहिक घर से निकाल दिया गया था, जिसमें दंडात्मक उपाय और सारांश निष्कासन प्रक्रिया की धमकियां थीं। लेकिन यह उस समय के दौरान था जब न्यायिक पृथक्करण का आदेश क्रियान्वित रहा। वह अपनी 'बेईज़्ज़ती' की जड़ को 1976 अधिनियम के तहत बोर्ड द्वारा जारी 10 जुलाई 2000 के एक नोटिस (2000 का एमबीआर और आरबी/एफएन/जीएन/2136) में पाती है। उसका मामला यह है कि उसे उसके वैवाहिक घर में दोबारा बसाना म्हाडा, बिल्डर और उसके पति का संयुक्त वैधानिक दायित्व है। यह एक तथ्य है कि उक्त उत्तरदाताओं ने संपत्ति के पुनर्विकास के दौरान एक वैधानिक योजना के तहत काम किया, जिसमें विकास योजना की मंजूरी, पुरानी इमारत को खाली करना और अपने पति के परिवार द्वारा पुनर्विकसित परिसर के आवंटित हिस्से में फिर से प्रवेश करना शामिल था। अपीलकर्ता को भी उस योजना के तहत उक्त भवन से बेदखल कर दिया गया था। लेकिन हमारी राय में, जब एक बिल्डर ने ऐसी योजना के अनुसार पुनर्विकसित हिस्से में मूल मालिकों को समायोजित करके अपने दायित्व का निर्वहन किया है, तो उस परिवार में विवाहित महिला अपने अधिकार को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करने की हकदार नहीं होगी। यदि उसका पति उसे आवंटित हिस्से में रहने की अनुमति नहीं देता है, तो वह उक्त क़ानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए वैवाहिक घर में चली जाएगी। उस संपत्ति के स्वामित्व या हित पर उसका कोई स्वतंत्र दावा नहीं है, जिसकी उत्पत्ति उस क़ानून में है। उसके वैवाहिक घर में रहने के अधिकार के दावे को उसके वैधानिक अधिकार के संपार्श्विक के रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही है। एक पति को नए भवन में पुनर्वासित या पुनर्वासित किया जाना है। लेकिन अपने वैवाहिक घर में रहने का उसका अधिकार उक्त अधिनियम के तहत वैधानिक योजना से अलग और स्वतंत्र है। न तो म्हाडा और न ही बिल्डर पर उसे फिर से बसाने का कोई कानूनी दायित्व हो सकता है। वह पुनर्विकास योजना के रचनात्मक लाभार्थी के रूप में अपना दावा पेश कर रही है। लेकिन हमारी राय यह है कि जिस अधिकार को वह लागू करना चाह रही है घटनाओं के एक सेट से जिसके आधार पर उसका पति पुनर्वास का दावा कर सकता है, वास्तव में परिवार कानून के तहत एक स्वतंत्र कानूनी सिद्धांत पर आधारित है। हम स्वीकार करते हैं कि वह 1976 अधिनियम की धारा 2 (25) के तहत एक कब्ज़ाकर्ता थी, लेकिन ऐसी कब्ज़ाकर्ता की स्थिति संपत्ति के हिस्से के मालिक के रूप में उसके पति के स्वतंत्र अधिकार पर निर्भर थी। उसकी वैवाहिक स्थिति से मिलने वाला उसका अधिकार सी वैधानिक योजना के तहत उसके पुनर्वास या पुनर्वास के अधिकार से प्रभावित नहीं हो सकता है। रहने का उसका अधिकार उसके वैवाहिक घर में 1976 के अधिनियम से उत्पन्न नहीं होता है।

9. हम अपीलकर्ता के उसके वैवाहिक घर में रहने के अधिकार को मान्यता देते हैं। ऐसे अधिकार का एक वैध आधार होता है। यद्यपि हमारे विचार में अपने अधिकार को लागू करने के लिए उसके द्वारा अपनाई गई डी प्रवर्तन तंत्र कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है, लेकिन जिस अधिकार को वह लागू करना चाहती है उस पर एक संक्षिप्त चर्चा उसके दावे के दायरे को समझने के लिए आवश्यक है। यदि यह संयुक्त संपत्ति है तो एक विवाहित महिला अपने विवाह के बाद अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ पति के साथ रहने की हकदार है। यदि वह अपने पति और बच्चों के साथ एक स्वतंत्र परिवार इकाई के रूप में एक आवास में रहती है, तो वैवाहिक घर वह आवासीय इकाई होगी। यह अधिकार एक पत्नी के रूप में उनके अधिकार में अंतर्निहित है। यह हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 18 के प्रावधानों के तहत उन स्थितियों में निहित है जहां यह क़ानून लागू होता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 ने इस क़ानून की धारा 2(एस) के संदर्भ में "साझा एफ घर" की अवधारणा को मान्यता दी है। उक्त अधिनियम के तहत पीड़ित महिला के अधिकार को खत्म करने के लिए एक अचल संपत्ति को अलग करना घरेलू हिंसा माना जा सकता है, अन्य बातों के अलावा, 2005 अधिनियम की धारा 3 (iv) के तहत "आर्थिक दुर्व्यवहार" अभिव्यक्ति के दायरे में आती है। उक्त अधिनियम की धारा 19 के तहत क्षेत्राधिकार रखने वाले एक मजिस्ट्रेट को पीड़ित की सुरक्षा के लिए निवास आदेश पारित करने का अधिकार है। घरेलू हिंसा के कारण उसे उसके साझा घर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन एक पति द्वारा अपनी पत्नी को एक अलग घर में रहने के लिए मजबूर करने के लिए, जो उसका वैवाहिक घर नहीं है, उचित कानूनी फॉरम  से आदेश आवश्यक होगा। ऐसा नहीं हो सकता है पत्नी को उसके वैवाहिक घर से जबरन बेदखल करना।

10. प्रतिवादी सं. 8 का दावा है कि अपीलकर्ता को उसी  इमारत के फ़्लैट नंबर 101 में समायोजित किया जा सकता है।. लेकिन अपीलकर्ता का कहना है कि उक्त फ़्लैट किसी अन्य किरायेदार को आवंटित किया गया है और उसे गलत इरादे से वह फ़्लैट दिया जा रहा है। उसने वैवाहिक घर में निवास के अपने अधिकार पर अपना दावा पेश किया है, जो उसके अनुसार उक्त दो फ़्लैटों 601 और 602 में शामिल है। उपलब्ध सामग्रियों से, ऐसा प्रतीत होता है कि उन फ़्लैटों में रुचि प्रतिवादी संख्या 8 के पैतृक परिवार के सदस्यों द्वारा छोड़ दी गई है।

11. ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 8 के बीच वैवाहिक विवाद के संबंध में विभिन्न फॉरम पर कुछ मामले लंबित हैं। लेकिन हमें ऐसे मामलों के विवरण से अवगत नहीं कराया गया है। अभी स्थिति यह है कि न्यायिक पृथक्करण का आदेश अमान्य है और अब तक, अपीलकर्ता प्रतिवादी नंबर 8 की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है। वह वर्ष 2000 से अपने वैवाहिक घर से बाहर है। लेकिन रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करके इस तरह के अधिकार को लागू नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, जिस मूल इमारत में उसका वैवाहिक घर था, उसे भी ध्वस्त कर दिया गया है। उसी भूखंड पर पुनर्विकसित इमारत के बड़े हिस्से को अलग कर दिया गया है। अब इसके पारंपरिक अर्थ के अनुसार, वर्तमान में उसका वैवाहिक घर वह परिसर होगा जिसमें उसका पति रह रहा है। इस जटिल परिप्रेक्ष्य में, तथ्य-खोज क्षेत्राधिकार वाला एक न्यायिक फॉरम इस प्रकृति के उसके दावे पर निर्णय देने के लिए उचित फॉरम होगा। अपीलकर्ता ने हमारा ध्यान 1976 अधिनियम की धारा 177 की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि उक्त अधिनियम से उत्पन्न होने वाले विवादों का फैसला सिविल कोर्ट द्वारा नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, उनके द्वारा उठाया गया विवाद 1976 के अधिनियम के किसी भी प्रावधान से उत्पन्न नहीं होता है। हालाँकि 1976 के अधिनियम के प्रावधानों को लागू

करते हुए उसे एक अधिभोगी के रूप में बेदखल कर दिया गया था, उसके पुनर्वास का दावा प्रतिवादी संख्या 8 की पत्नी के रूप में उसकी स्थिति पर आधारित है। हमारी राय में, इस तरह के दावे का फैसला सिविल कोर्ट या फैमिली कोर्ट या कानून द्वारा निर्धारित किसी अन्य फोरम द्वारा किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता के इस तरह के अधिकार को 1976 के अधिनियम के तहत उसके पति के अधिकार से अलग नहीं किया जा सकता है, जिसकी पारिवारिक संपत्ति, जिसके एक हिस्से का वह मालिक है, का पुनर्निर्माण किया गया है।

12. अब सवाल यह उठता है कि क्या कोई राहत दी जा सकती है इस अपील में अपीलकर्ता को। बंबई उच्च न्यायालय ने वास्तव में ऐसा किया है उसे इस आधार पर गैर-अनुकूलित किया गया कि रिट न्यायालय उपयुक्त नहीं था उसे राहत देने के लिए फॉरम । हमें इसमें कोई त्रुटि नहीं मिलती । लेकिन, इस अपील के दौरान, पति (प्रतिवादी संख्या 8) ने एक शपतपत्र दायर किया है जिसमें कहा गया है कि उसने फ़्लैट नंबर 101 अलग कर दिया है जिसमें अपीलकर्ता को समायोजित किया जा सकता है। दूसरी ओर, अपीलकर्ता ने दावा किया है कि योजना के अनुसार उसी फ़्लैट का आवंटन एक किरायेदार श्री नायक साटम के लिए निर्धारित किया गया था।

13. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विवाद बहुत लंबे समय से लंबित है, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए कुछ निर्देश देंगे, जिससे हमें उम्मीद है कि विवाद समाप्त हो जाएगा। हम इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसा करेंगे कि बिल्डर और अपीलकर्ता के पति ने समान रूप से कहा है कि ओम अपार्टमेंट में फ़्लैट नंबर 101 अपीलकर्ता को रहने के लिए उपलब्ध है। इस कारण से, हमारी राय में, अपीलकर्ता को अपने निवास के रूप में उस फ़्लैट पर कब्जा करने का विकल्प दिया जाना चाहिए। हालाँकि, इस उद्देश्य के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है कि उक्त फ़्लैट अन्यथा किसी भी रूप में अलग या भारग्रस्त न हो:-

(ए) प्रतिवादी नंबर 1 और 2 अपीलकर्ता को लिखित रूप में बताएंगे कि क्या फ़्लैट नंबर। 101 "ओम अपार्टमेंट" प्लॉट नंबर 118 पर स्थित डॉ. एम.बी. राऊत रोड, शिवाजी पार्क, दादर (379 वर्ग फुट) है। कारपेट एरिया प्रतिवादी संख्या 8 को आवंटन के लिए उपलब्ध है  या नहीं | यह खुलासा प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को इस आदेश के संचार की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर अपीलकर्ता को किया जाएगा।

(बी) इस तरह के खुलासे की सूचना अपीलकर्ता को लिखित रूप में दिए जाने की तारीख से एक महीने के भीतर, अपीलकर्ता निर्णय लेगी कि क्या वह उक्त फ़्लैट नंबर में रहने के प्रस्ताव को स्वीकार करेगी। 101. अपीलकर्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2, 7 और 8 को सूचित करेगा। एक महीने की उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपना निर्णय लिखित रूप में दें।

(सी) पति, (जो कि प्रतिवादी संख्या 8) है,प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष हलफनामे के रूप में एक शपथ पत्र भी देगा जिसमें स्पष्ट शब्दों में यह बताया जाएगा कि वह उस फ़्लैट पर किस अधिकार का प्रयोग करता है, साथ ही ऐसे अधिकार को स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की प्रतियां भी उपलब्ध कराएगा । उस शपथ पत्र में एक स्पष्ट वचन भी शामिल होगा कि वह किसी भी तरह से उक्त फ़्लैट में अपीलकर्ता के कब्जे को परेशान नहीं करेगा। हलफनामे में यह भी खुलासा किया जाएगा कि प्रतिवादी नं. 8 ने उक्त फ़्लैट पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया है। ऐसा एक माह की अवधि के भीतर शपथ पत्र देना होगा जिस तारीख को अपीलकर्ता ने फ़्लैट नंबर 101 में रहने की अपनी इच्छा लिखित में बताई थी।

(डी) यदि अपीलकर्ता को पुनर्विकास योजना या किसी अन्य अनुपूरक या सहायक उपकरण के आधार पर उक्त फ़्लैट आवंटित करने में कोई रोक नहीं है, और अपीलकर्ता उक्त फ़्लैट क्रमांक संख्या में समायोजित होने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। 101, बी तो अपीलकर्ता अपना वर्तमान आवास खाली कर देगी और उस फ़्लैट नंबर में बस जाएगी। चार महीने की अगली अवधि के भीतर ओम अपार्टमेंट में 101। यह पिछले उप-पैराग्राफ में निर्देशित अनुसार प्रतिवादी नंबर 8 द्वारा शपतपत्र के रूप में वचन देने के अधीन होगा।

14. हालाँकि, यदि अपीलकर्ता अपने पति के साथ अपने वैवाहिक घर में रहने का अधिकार स्थापित करना चाहती है, तो वह परिवार न्यायालय या सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी अन्य मंच से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होगी, जैसा कि उसे सलाह दी जा सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में, वह चार उप-पैराग्राफ सहित पिछले पैराग्राफ में हमारे द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर ओम अपार्टमेंट में फ़्लैट नंबर 101 के संबंध में विशेष रूप से किसी भी अधिकार का दावा करने की हकदार नहीं होगी।

15. अपीलकर्ता को अपना मौजूदा आवास खाली करना होगा जिसके लिए व्यय प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा किया गया प्रतीत होता है और किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से दायर अतिरिक्त शपतपत्र में इस तरह के व्यय का वहन करना सत्यापित किया गया और तथ्य प्रस्तुत किया गया है। 29 अगस्त 2019 को सत्यापित किया गया। हम अपीलकर्ता को ए/20, बाल गोविंददास सोसाइटी, मनोरमा नागरकर मार्ग, माहिम मुंबई में अपना वर्तमान निवास खाली करने के लिए आठ महीने का समय देते हैं। यदि वह अपने निवास के रूप में "ओम अपार्टमेंट" में फ़्लैट नंबर 101 का चयन करती है, और पैराग्राफ 13 और इसके विभिन्न उप-पैराग्राफ में निर्दिष्ट अन्य शर्तें पूरी होती हैं, तो उसे उस तारीख से अपना वर्तमान परिसर खाली कर देना होगा। जब से उसने "ओम अपार्टमेंट" में फ़्लैट पर कब्ज़ा कर लिया। प्रतिवादी संख्या 8 आठ महीने की उपरोक्त अवधि के भीतर अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 8 को पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीख पर उक्त परिसर पर अपना कब्जा देगी।

16. अन्यथा, उसके द्वारा उठाया जाने वाला कदम उस निर्देश द्वारा निर्देशित होगा जो सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है, जहां अपीलकर्ता संपर्क कर सकता है। जब तक अपीलकर्ता वर्तमान आवासीय आवास पर कब्जा बरकरार रखेगा, जो कि आठ महीने से अधिक नहीं, प्रतिवादी नंबर 8 किराया देना जारी रखेगा उसमें से और उसके कब्जे से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। किराए का भुगतान करने और अपीलकर्ता की वर्तमान आवासीय इकाई का शांतिपूर्ण कब्ज़ा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवादी नंबर 8 का दायित्व हमारे द्वारा निर्धारित आठ महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा। बेशक, जब तक कि सक्षम क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय अपीलकर्ता के अनुरोध पर कोई अन्य निर्देश जारी नहीं करता है।

17. इन निर्देशों के साथ, अपील का निपटारा हो जाएगा। सभी संबंधित आवेदनों का निस्तारण कर दिया गया है। अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, विघटित हो जायेंगे। खर्चे के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

दिव्या पांडे अपील निरस्त

**Smt. Namit Dwivedi,**
**Assistant Director, MPSJA**